



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 9, गुरुवार, शाके 1941-अक्टूबर 31, 2019
Kartika 9 Thursday, Saka 1941-October 31, 2019

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2019

संख्या एफ.15 (92) पंरावि/विधि/वार्डों का गठन/2019/2931 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत यथा ग्राम पंचायत के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/ पुनर्निर्धारण एवं प्रकाशन करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को एवं जिला परिषद व पंचायत समिति के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/ पुनर्निर्धारण एवं प्रकाशन करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है ।

आज्ञा से,

डॉ. आरुषी मलिक,

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक।



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15 (१२) पंरावि/विधि/वार्डों का गठन/2019/2931 जयपुर, दिनांक :- 30-10-2019

::अधिसूचना::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-12(2), 13(2), व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत यथा ग्राम पंचायत के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/ पुनर्निर्धारण एवं प्रकाशन करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को एवं जिला परिषद व पंचायत समिति के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/ पुनर्निर्धारण एवं प्रकाशन करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है ।


आज्ञा से,


(डॉ. आरूषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान ।
7. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजत्र (असाधारण) में पार्ट-4 (सी)(जीएसआरआई) के उपखण्ड-1 में प्रकाशनार्थ ।
10. ऐ.सी.पी., मुख्यालय को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें ।
11. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव(विधि)